बिहार सरकार

<u>समाज कल्याण विभाग</u>

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-281/2025-.........3965............/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक-405/गो0 दिनांक-16.08.2025 द्वारा श्री ब्रजभूषण कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-सह-प्रभारी जिला बाल संरक्षण इकाई, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, शिवहर के विरुद्ध बिना जिला पदाधिकारी, बेतिया को सूचना दिये नवपदस्थापित जिला में योगदान हेतु जाने, बढे हुए पेंशन का भुगतान लाभुको के खाते में अंतरित किये जाने के कार्यक्रम में लापरवाही बरतने, जिला पदाधिकारी, बेतिया द्वारा दिनांक-16.07.2025 को पर्यवेक्षण गृह, बेतिया के निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश के आलोक में श्री ब्रजभूषण कुमार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण दिनांक- 01.08.2025 को किशोर इरशाद अंसारी के पलायन आदि का आरोप लगाते हुए श्री ब्रजभूषण कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-6573 दिनांक-08.09.2025 द्वारा श्री ब्रजभूषण कुमार से स्पष्टीकरण की मॉग की गई। श्री कुमार के पत्रांक-334 दिनांक-16.09.2025 एवं पत्रांक-330 दिनांक-11.09.2025 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्री ब्रजभूषण कुमार के विरूद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-883 दिनांक-13.02.2026 द्वारा इनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गई। श्री कुमार के पत्रांक-79 दिनांक-24.02.2026 द्वारा अपने बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री ब्रज भूषण कुमार द्वारा सरकारी सेवक के रूप में अपेक्षित अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं विधिवत विरमण आदेश प्राप्त किए बिना जिला छोड़कर अन्यत्र योगदान देना तथा अपने पद के अनुरूप अपेक्षित सावधानी एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करना बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल आचरण है। उक्त के दृष्टिगत प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री ब्रजभूषण कुमार के विरूद्ध 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति देने का निर्णय लिया गया।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ब्रजभूषण कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-सह-प्रभारी जिला बाल संरक्षण इकाई, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, शिवहर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14 के तहत 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- 20/7/26

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-281/2025- 3965 पटना-15 दिनांक :- 21.7.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/- 20/7/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-281/2025- 3965 पटना-15 दिनांक :- 21.7.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /तिरहुत/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/शिवहर /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/शिवहर /माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्री ब्रजभूषण कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-सह-प्रभारी जिला बाल संरक्षण इकाई, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 20/7/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।